न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती मधुलिका सींवर, आर0ए0एस0
राजस्व प्रा0 पत्र सं0 : 15/2021
GCMS NO. : 2021/35

–:: प्रार्थीगण ::–	बनाम	–:: अप्रार्थीगण ::–
1. ममता पत्नी नोरत जाति राव निवासी लाम्बिया तहसील जैतारण।		1. पुसदान पुत्र हरलाल जाति राव निवासी लाम्बिया तहसील जैतारण।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं आदेश 39 नियम 1व 2, धारा 151 सी.पी.सी.

तारीख रजूः 09/06/2021

उपस्थितः. 1. श्री करणीदान चारण, अधिवक्ता, प्रार्थीया।
2. श्री रविन्द्र सिंह, अधिवक्ता, अप्रार्थी।

–:: निर्णय : **दिनॉकः 26/08/2021**

वकील मय प्रार्थीया ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं आदेश 39 नियम 1व 2, धारा 151 सी.पी.सी. के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा गांगलिया पटवार हल्का लाम्बिया तहसील जैतारण जिला पाली राज. मे प्रार्थीया व अप्रार्थी की सामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 85/1 रकबा 0.5504 एवं खसरा नम्बर 87 रकबा 2.2177 कुल रकबा 2.7681 आई हुई है। नकल जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 की साध्य पेश है जो प्रार्थनापत्र का भाग माना जावे। समस्त भूमि का एक चक ही खाता संख्या 79 है। समस्त भूमि मे 1/2 हिस्सा प्रार्थीया का है तथा 1/2 हिस्सा अप्रार्थी का है तथा माफिक हिस्सा राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी के प्रार्थीया व अप्रार्थी सामलाती रूप से काबिज है तथा बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् भूमि एवं लगान का बंटवाडा नही हुआ है। अप्रार्थी ने बिना प्रार्थीया की इजाजत के मनमर्जी से दिनांक 30/05/2021 को दिन मे जे.सी.बी. लाकर सामलाती भूमि मे आकर जबरन पाला लगाने लगे तब प्रार्थीया एवं अन्य लोगो ने अप्रार्थी को मना किया तथा बताया कि पहले भूमि का बंटवाडा करवा लो फिर पाला लगवाना, तो इन्कार हो गए तथा ऐ[illegible] कि तो भूमि का बंटवाडा करवायेगे तथा नही पाला लगवाने से रूकेगे [illegible] मौके पर जे.सी.बी. से पाला लगवाते हुए के फोटो लिए [illegible] साथ पेश है। [illegible] ने सामलाती भूमि का बंटवाडा करने से दिनांक 30/0[illegible] कुछ भाग मे जबरन पाला लगवा दिया एवं खेत [illegible] करने से [illegible] कर दिया जबकि भूमि एवं लगान का बंटवाड़ा किया जाना आवश्यक है तथा प्रार्थीया का अलग से खाता खोला जाकर नामानतरकरण भरा जाना तथा नक्शा में भी तरमीम किया जाना है तथा मौके पर नाप आदि कर मुड्डे नेकमबन्दी की जाना भी आवश्यक हो गया है जिससे विवाद हमेशा के वास्ते समाप्त हो जावे। प्रार्थनापत्र के साथ प्रस्तुत

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2021.10.11 16:42:31 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

राजस्व रेकर्ड व फोटो से प्रार्थीया के पक्ष मे प्रथम दृष्टिया मजबूत मामला है तथा सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीया के पक्ष में है अप्रार्थी को एक पक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा से पाला लगाने एवं बिना बंटवाडा कराये काश्त करने से नही रोका गया तो अपूर्णिय क्षति भी प्रार्थीया को होगी जिसकी क्षतिपूर्ति का मूल्याकंन रूपयो के रूप मे आंका नही जा सकेगा। प्रार्थीया के पक्ष मे इक्वीटी है। प्रार्थीया महिला होने से कमजोर है इसलिए बिना नोटिस दिये एक पक्षीय आदेश पारित कर अप्रार्थी को रोका जाना आवश्यक हो गया है क्योकि वर्षा का मौसम आने वाला है तथा अभी से अप्रार्थी बिना बंटवाडा कराए पाला लगवाकर अपने हिस्से से अधिक भूमि पर जबरन काश्त करने पर आमादा है। इसलिए अप्रार्थी के विरूद्ध प्रार्थीया की और से अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थनापत्र पेश है जो मंजूर करावे। अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थीया की और से मय शपथपत्र व दस्तावेज जमाबन्दी एवं मौके के फोटो पेश कर अर्ज है कि आदेश 39 नियम 1 व 2 तथा धारा 151 सीपीसी तथा धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थनापत्र पेश कर अर्ज है कि सरहद मौजा गांगलिया पटवार हल्का लाम्बिया मे भूमि जिसका विवरण प्रार्थनापत्र मे पेश कर दिया है इसमे अप्रार्थी को पाला लगवाने तथा बिना भूमि का बंटवाडा कराये खेती करने तथा भूमि मे काश्त से सम्बन्धी समस्त कार्य करने से जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के ताफैसला दावा के रोका जावे।

इस पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। गैरसायलान को जरिये नोटिस के तलब किये गये। गैरसायलान की ओर से वकालतनामा पेश हुआ, सामिल मिसल है। गैरसायलान की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश हुआ जो सा0मि0 है। गैरसायलान ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि प्रार्थना पत्र का पैरा संख्या 01 सही होने से स्वीकार है यह सही है कि सरहद मौजा गागलिया पटवार हल्का लाम्बिया तहसील जैतारण जिला पाली राजस्थान में प्रार्थीया व अप्रार्थी की सामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भमि खसरा नम्बर 85/1 रकबा 0.5504 एवं खसरा नम्बर 87 रकबा 2.2177 कुल रकबा 2.7681 की आई हुई है। प्रार्थना पत्र का पैरा संख्या 02 सही होने से स्वीकार है। उक्त वादग्रस्त समस्त भूमि का एक चक ही खाता संख्या 79 है। समस्त भूमि में 1/2 हिस्सा प्रार्थीया का है तथा 1/2 हिस्सा अप्रार्थी का है तथा माफिक हिस्सा राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी के प्रार्थीया व अप्रार्थी सामलाती रूप से काबिज है तथा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस भूमि एवं लगान का बंटवाड़ा नही हुआ है। कि सही बात तो यह है कि आज से लगभग 40-50 वर्ष पहले प्रार्थीया का पति नोरतदान व [illegible] दान व इन दोनो के पिता हरलाल जी मौजूद पड़ौसी द्वारा [illegible] कब्जा दोनो को मौके पर अपने हक हिस्से कि भूमि [illegible] रूप से [illegible] दिया तथा उसी अनुसार प्रार्थीया एवं अप्रार्थी अपने अपने खेत में 40-50 [illegible] फसल बोते है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 03 गलत होने से अस्वीकार है यह गलत है कि अप्रार्थी ने बिना प्रार्थीया की इजाजत के मनमर्जी से दिनांक 30.05.2021 को दिन में जे.सी.बी. लाकर उक्त सामलाती भूमि में आकर जबरन पाला लगाने लगे यह गलत है कि प्रार्थीया व अन्य लोगो ने अप्रार्थी को मना किया यह गलत है कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2021.10.11 16:42:31 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

प्रार्थीया ने कहा कि पहले भूमि का बंटवाड़ा करवा लो फिर पाला लगवाना यह उपरोक्त बात अप्रार्थी ने प्रार्थीया को नही कहा था। कि सही बात तो यह कि प्रार्थीया ने ऐलानिया धमकी देकर कहा कि न तो भूमि का बंटवाड़ा करवायेगें तथा न ही पाला लगवाने देगें ना ही फसल बोने देगें। प्रार्थीया ने कहा कि ना तो मैं फसल बोउगी ना ही अप्रार्थी को फसल बोने दुगी। सही बात तो यह कि अप्रार्थी ने कब्जा सुदा भूमि में पानी इक्ट्ठा होने के कारण अपने हक में पाला लगाया अप्रार्थी के करीबन 40-50 वर्षो से खेती कर रहे है तथा पहले से खेती की मेड़ बनी हुई है पाला अप्रार्थी अपने हिस्से में लगाया व मेड़ को छोड़कर अपने हिस्से में पाला लगाया संलग्न फोटोग्राफ को देखने मात्र से स्पष्ट है कि मेड़ के अन्दर पाला लगाया गया है। कि अप्रार्थी ने दिनांक 25.05.2021 को मुंगफली व ग्वार की फसल बोई व अपने हक में फसल बोई जो लगातार 40-50 वर्षो से खेती करता है अप्रार्थी ने पाला लगाया पर सीमा की मांठ को छोड़कर अपने हिस्से में पाला लगाया। जिसके फोटोग्राफ इस प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। प्रार्थीया व उसके पुत्र ने आकर झगड़ा किया ऐलानिया धमकी दी प्रार्थीया व उसके पुत्र द्वारा झगड़ा करते हुये के फोटोग्राफ इस प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। प्रार्थना पत्र का पैरा संख्या 04 गलत होने से अस्वीकार है यह गलत है कि अप्रार्थी ने सामलाती भूमि का बंटवाड़ा करने से दिनांक 30.05.2021 को मना कर दिया तथा कुछ भाग में जबरन पाला लगवा दिया एवं खेत का नाप करने से कभी इंकार नहीं किया जबकि भूमि एवं लगान का बंटवाड़ा किया जाना आवश्यक है। प्रार्थीया अलग से खाता खोला जाकर नामान्तरणकरण भरा जाना तथा नक्शा में भी तरमीम किया जाना मौके पर नाप चौप कर मुड्डे व नेकमबन्दी हो तो अप्रार्थी को कोई आपत्ति नहीं है। सही बात तो यह है कि प्रार्थीया व अप्रार्थी के बराबर भूमि बांटी हुई है तथा अच्छी भूमि प्रार्थीया के पास है जबकि धोरो की भूमि अप्रार्थी के पास है। प्रार्थना पत्र का पैरा संख्या 05 गलत होने से अस्वीकार है। यह गलत है कि प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत राजस्व रेकर्ड व फोटो से प्रार्थीया के पक्ष में प्रथम दृष्टिया मजबूत मामला है। बल्कि अप्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टिया मजबूत मामला बनता है। तथा यह भी गलत है कि अप्रार्थी को एक पक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा से पाला लगाने एवं बिना बंटवाड़ा कराये काश्त करने से रोका जाये। यह गलत है कि अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थीया होगी तथा क्षतिपूर्ति का मुल्याकंन रूपये के रूप में आंका नही जा सकेगा। यह गलत है कि प्रार्थीया के पक्ष में इक्वीटि है। प्रार्थीया महिला होने पर भी कमजोर नही है। यह गलत है कि वर्षा का मौसम आने वाला है तथा अप्रार्थीया बिना बंटवाड़ा कराये पाला लगवाकर [illegible] की अधिक भूमि पर जबरन काश्त करने पर आमादा है [illegible] अप्रार्थी भी बंटवाड़ा चाहता है क्योकि प्रार्थीया के पास अच्छी भूमि आ[illegible] हुई है प्रार्थीया श्रीमान की अदालत से फसल नही बोने बाबत [illegible] गलत है। यदि ऐसे प्रकरण में स्थगन आदेश दिया गया तथा अप्रार्थी को खेती करने से रोका गया तो अप्रार्थी के परिवार के भुखे मरने की नौब्बत आ जायेगी तथा अप्रार्थी बंटवाड़ा भी करवाना चाहता है। कि सही बात तो यह है कि अप्रार्थी को खेती करने से रोका गया तो अपूर्णीय क्षति भी होगी जो क्षतिपूर्ति का मुल्याकन रूपयो के रूप

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2021.10.11 16:42:31 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

में आंका नही जा सकेगा। कि अप्रार्थी 40-50 वर्षो से अपनी हिस्से में खेती करता व फसल बोता अप्रार्थी के पास अपने हिस्से में अधिक भूमि नही है। 1/2 भूमि का हिस्सा ही अप्रार्थी के पास है न ही जबरन काश्त करने पर आमादा है। कि अप्रार्थी करीबन 40-50 वर्षो से खेती कर रहा है तथा पहले से खेत की मेड़ बनी हुई है पाला अप्रार्थी ने अपने हिस्से में लगाया जो संलग्न फोटोग्राफ को देखने मात्र से स्पष्ट है कि मेड के अन्दर पाला लगाया गया है।

बहस वकुलाय राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता वादी की ओर से अपने पक्ष में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये गये-

1997(2) C.C.D. वोल्यूम-16 पेज नम्बर-75

1998(1) C.C.D. वोल्यूम-18 पेज नम्बर-15, 209

1997 R.R.D. पेज नम्बर-54

1975 R.R.D. पेज नम्बर-106

हमनें विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं अधिवक्ता वादी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का ससम्मान अवलोकन किया तथा हस्तगत प्रकरण के सम्यक् न्याय निर्णयन में मार्गदर्शन प्राप्त किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन एवं विधिक प्रास्थिति के आधार पर प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन इस प्रकार है:-

1. **प्रथम दृष्टया मामला:-** पत्रावली मय दस्तावेजात के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादीया/प्रार्थीया ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पेश कर दौराने वाद अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा की मांग की गई है। वादग्रस्त आराजी संयुक्त खातेदारी की अविभाजित भूमि है जो संलग्न जमाबन्दी सम्वत् 2074-2077 के अवलोकन से स्पष्ट है एवं यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि सहखातेदारी भूमि में प्रत्येक सहखातेदार का भूमि के प्रत्येक हिस्से पर हक-अधिकार निहित होते है। संयुक्त खातेदारी भूमि में विवाद की स्थिति में कानूनन बंटवाड़ा ही समाधान है। अप्रार्थी ने भी अपने जवाब प्रार्थना पत्र में बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा करवाने के समर्थन में कथन किया है। प्रार्थीया द्वारा अप्रार्थी को काश्त करने से रोके जाने हेतु निवेदन किया है जबकि अप्रार्थी द्वारा यह कथन दिया गया है कि कृषि ही उनके आजिविका का एक-मात्र साधन है। अतः प्रकरण के गुणावगुण के संबंध में टिप्पणी किये बिना हमारा यह विनम्र अभिमत है कि एक सहखाते[illegible]पने खातेदारी अधिकारों के उपयोग/उपभोग से महरूम [illegible] अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीया के पक्ष में साबित नहीं होता है।
2. **सुविधा का संतुलन:-** चुंकि प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीया के पक्ष में [illegible]नहीं हुआ है एवं प्रत्येक सहखातेदार का संयुक्त खातेदारी भूमि में अपने हक हिस्से तक सुविधा का संतुलन निहित होता है। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि केवल प्रार्थीया के पक्ष में ही सुविधा का संतुलन निहित है। अतः यह बिन्दू भी प्रार्थीया के पक्ष में साबित नहीं होता है।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2021.10.11 16:42:31 IST
Reason: SelfAttested

3. **अपूरणीय क्षतिः–** चुंकि पूर्व विवेचित दोनों बिन्दू प्रार्थीया के पक्ष में साबित नहीं हुए है एवं यदि अप्रार्थी को अपने हक–हिस्से तक खातेदारी अधिकारों के उपभोग/उपयोग तथा कृषि करने से रोका गया तो अप्रार्थी को अपूरणीय क्षति कारित होगी। एवं प्रार्थीया यह साबित करने में विफल रहे हैं कि यदि अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थीया के पक्ष में जारी नहीं की गई तो किस प्रकार से उसे अपूरणीय क्षति होगी। अतः यह बिंदू भी प्रार्थीया के पक्ष में साबित नहीं होता है।

उपर्युक्त बिन्दूवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि हस्तगत प्रकरण प्रार्थीया/वादीया के पक्ष में बखूबी साबित नहीं होने से अस्वीकार किया जाना विधिसंगत होगा।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीया/वादीया अन्तर्गत धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रार्थीया के पक्ष में बखूबी साबित नहीं होने तथा सारहीन होने से खारिज़/अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली इसी माफिक निर्णीत होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रेक,
जैतारण जिला–पाली(राज.)

निर्णय आज दिनॉक 26/08/2021 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रेक,
जैतारण जिला–पाली(राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2021.10.11 16:42:31 IST
Reason: SelfAttested